राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 426/2024

ओमप्रकाश मीणा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, वन, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ), राजस्थान, जयपुर।
3. उप वन संरक्षक, नागौर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 23.02.2024

आदेश की दिनांक : 28.02.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अभिभाषक

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने संशोधित अपील प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर बहस सुनी गई एवं शामिल मिसल कर रिकार्ड पर लिया गया।

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में वनपाल के पद पर नाका प्रभारी, पांचोता/गस्ती दल, रेंज कुचामन सिटी में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 20.02.2024 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण उप वन संरक्षक, नागौर से उप वन संरक्षक, सीकर में किया गया है तथा आदेश दिनांक 22.02.2024 के द्वारा अपीलार्थी को उप वन संरक्षक, नागौर से उप वन सरंक्षक, सीकर में स्थानान्तरणाधीन दर्शाते

हुये उसे उप वन सरंक्षक, स्टेज द्वितीय, बीकानेर किया गया है। उनका कथन है कि अपीलार्थी ने गस्ती दल में कार्यग्रहण करने के पश्चात् 21 एफआईआर दर्ज करायी, जिससे खनन माफियाओं के विरूद्ध कार्यवाही करने के कारण उसके प्रति विरोध होने से उसे परेशान करने के आशय से एक माह की अवधि में अपीलार्थी को उप वन संरक्षक, सीकर स्थानान्तरण करवा दिया गया, जो विधि एवं नियमों के विपरीत है। उसी प्रकार अपील संख्या 2559/2021 मुकेश बाबूलाल शर्मा बनाम वन विभाग में समान तथ्यों पर अधिकरण द्वारा दिनांक 04.08.2021 को स्थगन आदेश जारी किया गया, इस प्रकार अपीलार्थी की भी अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 20.02.2024 व 22.02.2024 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश दिये जावें।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन वनपाल के पद पर नाका प्रभारी, पांचोता/गस्ती दल, रेंज कुचामन सिटी में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 20.02.2024 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण उप वन संरक्षक, नागौर से उप वन संरक्षक, सीकर में किया गया है, परंतु आदेश दिनांक 22.02.2024 के द्वारा अपीलार्थी को उक्त स्थान से स्थानान्तरणाधीन दर्शाते हुये उप वन सरंक्षक, स्टेज द्वितीय, बीकानेर किया गया है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम अधिकारी द्वारा नियमानुसार किया गया है, जिसमें किसी प्रकार के नियमों का उल्लंघन प्रकट नहीं होता है। प्रशासनिक आवश्यकताओं एवं जनहित में कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर ली जानी है, इसके निर्णय का अधिकार प्रत्यर्थी विभाग को है। सेवाविधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। स्थानान्तरण करना नियोक्ता का अधिकार है और अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है, इस कारण स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य** (**ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532**) के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"In our opinion, the Courts should not interfere with transfer orders which are made in public interest and for*

administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights."

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण ग्राह्यता के प्रक्रम पर मय स्थगन प्रार्थना पत्र के खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य